न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी—अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 10/2020

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
कमला पत्नी हनुमानराम विश्नोई निवासी ग्राम नेवा कानासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर		1. जगमाल पुत्र कोसलाराम विश्नोई निवासी ग्राम नेवा कानासर तहसील बाप, जिला जोधपुर **प्रफोर्मा रेस्पोडेंट –** 2. बादु पत्नी प्रतापाराम 3. हड़मानराम पुत्र सगताराम 4. मांगीलाल पुत्र सगताराम 5. अणची पत्नी अणदाराम 6. सुगनी पत्नी बंशीलाल (जाति विश्नोई, निवासी ग्राम नेवा कानासर, तह0 बाप, जिला जोधपुर) 7. शाखा प्रबंधक, जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा फलौदी 8. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक, शाखा बाप, तहसील बाप, जिला जोधपुर 9. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बाप (जोधपुर) राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 47/2015 आदेश दिनांक 5.3.18

उपस्थिति –

1. श्री पूनाराम विश्नोई, वकील अपीलांट
2. श्री रोशनलाल वकील रेस्पो0 सं0 1 व 5
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 9 की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.08.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी—रेस्पो0सं0 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू—राजस्व अधि0, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील बाप के ग्राम नेवा स्थित मूल खसरा नं0 163 की भूमि पूर्व में प्रार्थी—रेस्पो0सं0 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जो प्रार्थी द्वारा अलग—अलग बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड में खाते अलग—अलग दर्ज किए जाकर, वर्तमान में खसरा नं0 163/1 रकबा 21 बीघा प्रार्थी के नाम, खसरा नं0

अजीत सिंह
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

163/2 रकबा 49.09 बीघा अप्रार्थी सं0 1–रेस्पो0सं0 2–बाधु के नाम, खसरा नं0 163/3 रकबा 49.09 बीघा अप्रार्थी सं0 2 व 3–रेस्पो0सं0 3 व 4–हडमानराम व मांगीलाल के नाम, खसरा नं0 163/4 रकबा 25 बीघा अप्रार्थी सं0 4–रेस्पा0सं0 5–अणची के नाम एवं खसरा नं0 163/6 रकबा 8.07 बीघा व खसरा नं0 163/7 रकबा 2.17 बीघा अप्रार्थी सं0 5–रेस्पो0सं0 6–सुगनी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। लेकिन उक्त भूमि नक्शा लट्ठा ट्रेस में सामलाती ही दर्ज है। प्रार्थी का अपने हिस्से की भूमि पर बेचान के पूर्व से रोड़ के चिपती भूमि पूर्व दिशा पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार चला आ रहा है। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने आपसी मिलीभगत से प्रार्थी की कब्जा काश्त एवं तरमीम सुदा भूमि पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के गलत तरीक से तरमीम करवा ली गई, जिसके बट्टा नम्बर अपनी जमाबंदी अनुसार दर्ज करवा लिए गये। जबकि उक्त भूमि को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 से 3 के मध्य किसी प्रकार का कोई बंटवाड़ा नही हुआ है। इसलिए खसरा नं0 163 के नक्शा ट्रेस में की गई गलत तरमीम खसरा नं0 163/2 व 163/3 को निरस्त करवाकर राजस्व नक्शा ट्रेस की तरमीम दुरूस्त करवावे। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ग्राम नेवा के खसरा नं0 163 रकबा 156.02 बीघा भूमि के नक्शा ट्रेस में की गई खसरा नं0 163/2 एवं 163/3 की गलत तरमीम निरस्त कर, तहसीलदार बाप को माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अंतर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रा0प0 मय श0प0 प्रस्तुत किये गये। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थीया खसरा नं0 163/2 की रेकर्डेड खातेदार है। जिसे बिना पक्षकार बनाये रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–जगमाल का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल ही नही था। धारा 136 आरएलआर एक्ट के प्रावधानों के तहत भी अभिलिखित खातेदार को बिना नोटिस दिये इन्द्राज परिवर्तन संबंधी कोई आदेश नही दिया जा सकता है। इसके अलावा तरमीम शुद्धि बाबत आदेश धारा 136 में दिया ही नही

जा सकता है। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हाल भू–प्रबंध कार्यवाही के पूर्व जिस तरह के थे उसी अनुरूप हाल बंदोबस्त में इन्द्राज किए गये है, इस प्रकार रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र पोषणीय ही नही था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नही था, जिससे धारा 136 के तहत खसरा नं0 163/2 एवं खसरा नं0 163/3 की तरमीम निरस्त कर दी जावे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम कार्यवाही न्यायिक प्रकियाओं को दरकिनार करते हुए की गई है। विवादित प्रकरण मात्र नियमित वाद प्रस्तुत कर, उस पर साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर ही निर्णित किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 व 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जमाबंदी संवत् 2068–71 व राजस्व नक्शा दिनांक 13.2.13 से साबित है कि खसरा नं0 163 की भूमि पूर्व में रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी की खातेदारी की रही है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि में से किए गये अलग–अलग बेचाननामों के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग खाते कायम किए गये। जिसकी राजस्व नक्शें में तरमीम नही की गई। इसी खसरे में खसरा नं0 163/2 एवं 163/3 के खातेदारों ने बिना किसी बंटवाडे एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी के तरमीम आदेश के विधिविरूद्ध तरीके से रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी की कब्जाकाश्त भूमि पर तरमीम करवा ली गई। जिसकी दुरूस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक भूल नही की गई है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 सं0 9 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में पक्षकारों के मध्य मूल खसरा नं0 163 में से हुए बेचाननामों के आधार पर अलग–अलग खसरान की मौका कब्जा काश्त अनुसार तरमीम

संबंधी विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर के पत्र दिनांक 11.7.17 द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब में मुख्यतः यह उल्लेख किया गया है कि बिना किसी आधार के एवं बिना किसी दस्तावेजी सबूत के नक्शें में दर्ज तरमीम को केवल मात्र वादी के कथन मात्र से निरस्त करना न्यायोचित नही है।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नक्शा लट्ठा ट्रेस (पी 35–953, 27.14) मौजा नेवा के खसरा नं0 163 की भूमि में खसरा नं0 163/2 व 163/3 की तरमीम की हुई है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से तद्नुसार स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 47/2015 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2018 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12 अगस्त, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

12.08.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर